कृषि सुधार के नए कानूनों से होगा लाभ

पत्रिका गेस्ट राइटर

डॉ. पी.के. राय, निदेशक सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर

आर्थिक उदारीकरण के बावजूद कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में असमानता, उच्च बाजार शुल्क, असंगठित एवं अपर्याप्त बाजार, अपर्याप्त ढांचागत एवं ऋण सुविधाएं, किसानों को प्राप्त होने वाली जानकारी में भिन्नता एवं लाइसेंस देने में प्रतिबंध के चलते भारत सरकार ने कृषि सुधार के तीन नए कानूनों को इस वर्ष लागू किया है। इन कृषि कानूनों के चलते किसान अपनी उपज देश में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकते हैं।

इन कानूनों के चलते कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी मण्डियों) के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। इसके जरिए एक देश, एक बाजार की व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी, इससे किसानों को लाभ होगा। सरकार धान एवं गेहूं की खरीद पहले की ही तरह करती रहेगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ पहले की तरह देती रहेगी। एपीएमसी मण्डियों में व्यापारियों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती। नतीजतन किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। पहले किसान मंडी व्यापारियों के मोहताज बन जाते थे। अब किसान मंडी के साथ-साथ मंडी के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं। जिस प्रकार सेवा क्षेत्र में 1991 में सुधार हुए वैसे ही इन कृषि सुधार कानूनों के चलते कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा। वर्तमान में कृषि में 50 प्रतिशत से अधिक लोग जुड़े हैं, लेकिन जीडीपी मे इसका योगदान सिर्फ 16 प्रतिशत है। असल में इन तीनों कानूनों को देखा जाए तो इनका लाभ किसानों को ही मिलेगा। किसान की स्वेच्छा और उसकी आत्मनिर्भरता के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। यह कदम फसल की बुवाई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबन्ध करने की सुविधा प्रदान करता हैं। किसानों एवं प्रायोजकों के बीच कृषि उपज की खरीद और कृषि सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौतों के लिए इस कानून के माध्यम से एक कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा इन कानूनों के जरिए मॉडल कृषि समझौतों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है, जिसमें उपज की कीमत अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से उल्लिखत होगी और किसी भी विवाद की स्थिति में इसका निपटारा कानूनों के द्वारा किया जाएगा।